

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 152/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

बालमुकुन्द वर्मा ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

सरयु प्र0 वर्मा वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

19-11-24

प्रथम पक्ष बालमुकुन्द वर्मा, पिता- स्व0 दीपचन्द महतो, साकिन- झांझ, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह के आवेदन पर थाना प्रभारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 21.09. 2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया :-

मौजा- झांझ, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह

(1) खाता नं0- 15, प्लॉट नं0- 869, रकबा- 20 डी0

चौहद्दी : उ0- सीमाना डबरी, द0- शंकर महतो

पू0- सीमाना डबरी प0- ओमप्रकाश वर्मा

(2) खाता नं0- 15, प्लॉट नं0- 869, रकबा- 14 डी0

चौहद्दी : उ0- ओमप्रकाश वर्मा, द0- दशरथ महतो

पू0- सुरेन्द्र महतो वगै0 प0- हरिहर महतो

(3) खाता नं0- 15, प्लॉट नं0- 283, रकबा- 16 डी0

चौहद्दी : उ0- सुधीर वर्मा व नारायण महतो वगैरह

द0- झंडु महतो वगैरह

पू0- झरी महतो वगैरह

प0- जगदीश महतो

(4) खाता नं0- 15, प्लॉट नं0- 755, रकबा- 04 डी0

चौहद्दी : उ0- अरूण महतो, द0- रास्ता

पू0- सुरेश महतो, प0- गुरुचरण महतो

(5) खाता नं०- 15, प्लॉट नं०- 907, रकबा- 04 डी०

चौहद्दी : उ०- प्रयाग प्रसाद कुशवाहा, द०- भीड

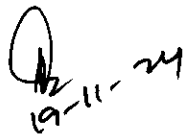
पू०- बिहारी महतो, प०- सुधीर वर्मा

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

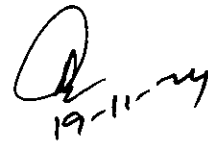
उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई कारण पृच्छा / लिखित अभिकथन इत्यादि दाखिल किया। प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन में वर्णित किया है कि विवादित जमीन केवाला द्वारा उनके पूर्वज को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष उनके हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं अतः विवाद की परिस्थिति उत्पन्न हुई। प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन के साथ एक ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, एक ऑनलाइन पंजी II की छायाप्रति, एक नक्शा की छायाप्रति, कुछ फोटोग्राफ्स संलग्न किया है।

चूँकि द्वितीय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में ना तो उपस्थित हुए और ना ही कारण पृच्छा दाखिल किए अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत कोई अंतिम आदेश पारित करना संभव नहीं है। कालातीत होने के कारण वाद की कार्यवाई बिना कोई अंतिम आदेश पारित किए समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया